



Chicago Commission
on Human Relations

सैन्य स्थिति भेदभाव इसे अनदेखा न करें- इसकी रिपोर्ट करें!

अमेरिकी सेना के वर्तमान और पूर्व सदस्यों के साथ भेदभाव करना गैरकानूनी है।

कानून ड्यूटी पर सक्रिय सैनिकों, रिजर्व सैनिकों और सेवानिवृत्त सैनिकों की रक्षा करता है। सेना से बर्खास्तगी के आधार पर भेदभाव करना भी वर्जित है।

सैन्य स्थिति के आधार पर भेदभाव के उदाहरणों में शामिल हैं:

- किसी सेवानिवृत्त द्वारा किए गए रोजगार आवेदन को खारिज करना, क्योंकि नियुक्ता को लगता है कि आवेदक पोस्ट-ट्रॉमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD) और ज़िम्मेदारी एवं सुरक्षा संबंधित मुद्दों से पीड़ित हो सकता है।
- किसी सेवानिवृत्त या ड्यूटी पर सक्रिय सैन्यकर्मियों को किसी रेस्टोरेन्ट, बार या अन्य सार्वजनिक स्थान पर नौकरी देने से इनकार करना, क्योंकि ग्राहकों से साथ सैन्यकर्मियों की भागीदारी पर मालिक को आपत्ति है।
- किसी सेवानिवृत्त द्वारा किराये पर देने के आवेदन को अस्वीकार करना, क्योंकि मकान मालिक को लगता है कि आवेदक PTSD से पीड़ित हो सकता है और इससे दूसरों के लिए खतरा पैदा हो सकता है।
- ऐसे सेवानिवृत्त से किराये का भुगतान लेने से इनकार करना, जो किराये का भुगतान अपने GI बिल आवासीय भते से करना चाहता है।

यदि आपको लगता है कि आप सैन्य स्थिति के आधार पर भेदभाव के शिकार हुए हैं, तो इसे अनदेखा न करें, इस बारे में CCHR को सूचित करें।



हमसे (312) 744-4474 पर संपर्क करें
ईमेल: cchr@cityofchicago.org

वेबसाइट: Chicago.gov/cchr
Facebook: [@ChicagoCHR](https://www.facebook.com/ChicagoCHR)
Twitter: [@ChiCCHR](https://twitter.com/ChiCCHR)



Lori E. Lightfoot
सिकागो के मेयर